अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4(78) परावि/पीसी/एमआईएस/ 2015–16/664 जयपुर,दिनांक 21/3/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त,

विषय :– इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कराने बाबत पुनः निर्देश – 2।

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 427 दिनांक 23.2.2017

महोदय,

प्रासंगिक आदेश के द्वारा इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु यह स्पष्ट किया गया था कि सॉफ्टवेयर का प्रभावी प्रशिक्षण संपादित करते हुए दिनांक 1.4.2017 से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी विभागीय योजनाओं की प्रभावी कियान्विति सुनिश्चित करावें।

इस संबंध में मुख्यालय पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किया जा चुका है एवं तद्नुसार जिलों द्वारा पंचायत समिति एंव ग्राम पंचायतों के कार्मिकों को प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

बजट घोषणा वर्ष 2016–17 की कियान्विति एवं पारदर्शिता के क्रम में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की सभी योजनाओं के निर्माण कार्यों से संबंधित समस्त कार्यवाही (वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्यों का चयन, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, राशि का भुगतान, निरीक्षण, राशि का समायोजन, यूसी/सीसी जारी करना आदि) एवं अन्य व्यय का भुगतान इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जायेगी

इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के प्रभावी कियान्वयन बाबत निर्देश – 2

2. विकास अधिकारी द्वारा बैंकों को यह सूचित किया जावे कि दिनांक 1.4.2017 के पश्चात् ग्राम पंचायत के द्वारा जारी चैक के माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया जावे एवं समस्त भुगतान ऑनलाईन व्यवहार के आधार पर किये जावें।

3. सॉफ्टवेयर के कियान्वयन में रूचि नहीं लेने वाले अथवा बिना सॉफ्टवेयर के कार्यवाही करने के क्रम में संबंधित दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही त्वरित रूप से संपादित की जाये।

4. इसमें किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुख्यालय को अवगत कराने का श्रम करावें।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में गलत डाटा इन्द्राज करने या समय पर डाटा इन्द्राज नहीं करने वाले या दि. 1.4.2017 के पश्चात् बिना सॉफ्टवेयर के उपयोग से राशि व्यय करने की कार्यवाही को विभागीय निर्देशों/राज्यादेशों की अवहेलना माना जायेगा।

<u>इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।</u>

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वैक्तिक सचिव, मा0 मंत्री महोदय, ग्राविपंराज
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विका
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
5. सभी जिला प्रभारी अधिकारी मुख्यालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि वर्ष 2017–18 में किये जाने वाले जिला भ्रमण के दौरान इन निर्देशों की प्रथम प्राथमिकता से समीक्षा करने का श्रम करावें।
6. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
8. ए.सी.पी., पंचायती राज को बैवसाईट पर अपलोड हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता